


### कार्यालय आदेश

पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों में कार्यरत सभी दैनिक/एजेन्सी के माध्यम से नियोजित सफाई कर्मियों को सूचित किया जाता है कि नियमित समीक्षाओं के दौरान ये तथ्य प्रकाश में लाए गये हैं कि कुछ सफाई कर्मियों की उपस्थिति उनके सम्पूर्ण कार्यावधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में नहीं बनी रहती है साथ ही सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ही कुछ सफाई कर्मी नियमित रूप से अवकाश में चले जाते हैं। ऐसे कृत्यों से निगम की कार्य क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। अतः सभी दैनिक/एजेन्सी प्रदत्त सफाई कर्मी अंतिम रूपेण निदेशित है कि आपके अवैध अनुपस्थिति अथवा अल्प कार्यावधि को आपके सेवा उन्मुक्ति का आधार स्वीकार करते हुए माह में 10 दिनों से अधिक अवैध अनुपस्थिति अथवा अल्पावधि कार्य पर उपस्थिति की स्थिति में आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्य मुक्त करते हुए आपके स्थान पर अन्य योग्य कर्मी की सेवा निगम में प्राप्त कर ली जाएगी तथा भविष्य में आपके किसी भी दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
नगर आयुक्त,  
पटना नगर निगम

ज्ञापांक:- Sami VI/S/182/314/2022-8682, दिनांक:- 23/06/2022  
प्रतिलिपि:-

1. IT Team पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि निगम वेब पोर्टल पर सूचना प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
2. नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ साथ ही निदेश दिया जाता है कि अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर इसका प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. उप नगर आयुक्त (स्थापना) पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ साथ ही निदेश दिया जाता है कि मुख्यालय के सूचना पट्ट पर इसका प्रकाशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5. अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

  
नगर आयुक्त,  
पटना नगर निगम